भारत सरकार
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1803
बुधवार, दिनांक 30 जुलाई, 2025 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>नवीकरणीय ऊर्जा संबंधी लक्ष्य</u>

1803. श्री दर्शन सिंह चौधरीः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में निर्धारित महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) रोजगार और विकास पर नवीकरणीय ऊर्जा का संभावित प्रभाव क्या है;

(ग) प्रधानमंत्री-सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (पीएम-एसजीएमबीवाई) और प्रधानमंत्री-किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान (पीएम-कुसुम) के अंतर्गत होशंगाबाद और नरसिंहपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र मे किए जाने वाले कार्यों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) होशंगाबाद और नरसिंहपुर निर्वाचन क्षेत्र में सूर्य मित्र, वरूण मित्र और जल ऊर्जा मित्र जैसे कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रशिक्षित लोगों की संख्या कितनी है?

उत्तर
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) सरकार ने वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत उत्पादन क्षमता के लक्ष्य को साकार करने के लिए देश में अक्षय ऊर्जा क्षमता को बढ़ावा देने और गति लाने के लिए विभिन्न उपाय और पहल की हैं, जैसा कि **अनुलग्नक** में दिया गया है।

(ख) नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में सौर, पवन, जैव (बायो) ऊर्जा, जल विद्युत, हरित हाइड्रोजन और ऊर्जा भंडारण शामिल हैं, जो विनिर्माण, तैनाती और परिचालन में बहुआयामी रोज़गार के अवसर देते हैं। जुलाई, 2019 में ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद (सीईईडब्ल्यू) द्वारा किए गए "ग्रीन ऊर्जा से रोज़गार वृद्धि को बढ़ावा" पर अध्ययन और अक्टूबर 2019 में टेरी द्वारा सह-लाभ अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2030 तक 37.78 लाख रोज़गार सृजित होने का अनुमान है।

(ग) प्रधानमंत्री-सूर्य घरः मुफ्त बिजली योजना (पीएम-एसजीएमबीवाई) के अंतर्गत, दिनांक 24.07.2025 की स्थिति के अनुसार, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद, नरसिंहपुर और रायसेन जिलों में योजना के राष्ट्रीय पोर्टल पर क्रमशः 1354, 788 और 647 आवेदन प्राप्त हुए हैं और क्रमशः 805, 467 और 300 परिवारों को रूफटॉप सौर ऊर्जा प्रणालियों की स्थापना करके शामिल किया गया है।

पीएम-कुसुम के अंतर्गत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त माँग और दिखाई गई प्रगति के आधार पर क्षमताओं का आवंटन किया जाता है और लाभार्थियों के चयन सहित योजना के कार्यान्वयन की जिम्मेवारी राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों (एसआईए) की है। मध्य प्रदेश राज्य के लिए एसआईए द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, दिनांक 24.7.2025 तक, योजना के घटक 'क' के अंतर्गत, नर्मदापुरम (पूर्ववर्ती होशंगाबाद), नरसिंहपुर और रायसेन जिलों में 117.79 मेगावाट क्षमता के सौर विद्युत संयंत्रों के लिए लेटर ऑफ अवार्ड (एलओए) जारी कर दिया गया है। योजना के घटक ख के अंतर्गत नर्मदापुरम, नरसिंहपुर और रायसेन (उदयपुरा तहसील) जिलों में कुल 184 सौर कृषि पंप स्थापित किए गए हैं।

(घ) होशंगाबाद और नरसिंहपुर निर्वाचन क्षेत्रों के कुल 129 व्यक्तियों को इन निर्वाचन क्षेत्रों और निकटवर्ती सूर्यमित्र कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्रों में सूर्यमित्र कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षित किया गया है। इसके अतिरिक्त, इन निर्वाचन क्षेत्रों में प्रधानमंत्री-सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत लगभग 141 उम्मीदवारों को सोलर रूफ टॉप तकनीशियन के रूप में प्रशिक्षित किया गया है।

अनुलग्नक

दिनांक 30.07.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1803 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

भारत सरकार ने वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता की प्रतिबद्धता को साकार करने के लिए देश में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को बढ़ावा देने और इसमें तेजी लाने के लिए विभिन्न उपाय और पहल की हैं। इनमें अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

- नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2027-28 तक अक्षय ऊर्जा कार्यान्वयन एजेंसियों [आरईआईएः सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. (सेकी), एनटीपीसी लिमिटेड, एनएचपीसी लिमिटेड, एसजेवीएन लिमिटेड] द्वारा जारी की जाने वाली 50 गीगावाट/वर्ष की अक्षय ऊर्जा विद्युत खरीद बोलियों को जारी करने के लिए बोली ट्रैजेक्ट्री जारी की है।
- ऑटोमेटिक रूट के अंतर्गत 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति दी गई है।
- सौर और पवन विद्युत की इंटर-स्टेट बिक्री के लिए दिनांक 30 जून, 2025 तक चालू होने वाली परियोजनाओं के लिए, ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं हेतु दिसम्बर, 2030 तक सौर अपतटीय पवन परियोजनाओं के लिए दिसम्बर, 2032 तक इंटर-स्टेट ट्रांसमिशन प्रणाली (आईएसटीएस) शुल्कों को माफ कर दिया गया है।
- अक्षय ऊर्जा खपत को बढ़ावा देने के लिए, अक्षय ऊर्जा खरीद बाध्यता (आरपीओ) के बाद अक्षय उपभोग बाध्यता (आरसीओ) ट्रजेक्ट्री को वर्ष 2029-30 तक के लिए अधिसूचित किया गया है। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के अंतर्गत सभी नामित उपभोक्ताओं पर लागू आरसीओ की अनुपालना न करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। आरसीओ में विकेंद्रीकृत अक्षय ऊर्जा स्रोतों से खपत की निर्दिष्ट मात्रा भी शामिल है।
- ग्रिड कनेक्टेड सौर, पवन, पवन-सौर हाइब्रिड और सतत एवं प्रेषण योग्य अक्षय ऊर्जा (एफडीआरई) परियोजनाओं से विद्युत की खरीद के लिए टैरिफ आधारित स्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के लिए मानक बोली दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।
- प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम), पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, राष्ट्रीय उच्च दक्षता सौर पीवी मॉड्यूल कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवादी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) तथा धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए जेजीयूए) के अंतर्गत नवीन सौर विद्युत योजना (जनजातीय तथा पीवीटीजी बस्तियों/गावों के लिए), राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (वीजीएफ) जैसी योजनाएं शुरू की गई हैं।
- अल्ट्रा मेगा अक्षय ऊर्जा पार्कों की स्थापना के लिए, अक्षय ऊर्जा डेवलपरों को बड़े स्तर पर अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना हेतु भूमि एवं ट्रांसमिशन उपलब्ध कराने के लिए योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है।
- अक्षय विद्युत की निकासी के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर योजना के अंतर्गत नई ट्रांसमिशन लाइनें बिछाने और नई सब-स्टेशन क्षमता विकसित करने हेतु वित्तपोषण किया गया है।
- पांच सौ किलोवाट तक अथवा स्वीकृत विद्युत लोड तक, जो भी कम हो, नेट-मीटरिंग के लिए विद्युत (उपभोक्ता के अधिकार) नियम, 2020 जारी किए गए हैं।

- “पवन विद्युत परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय पुनः शक्तिकरण और जीवन विस्तार नीति, 2023” जारी की गई है।
- "अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना हेतु रणनीति" जारी की गई है, जिसमें वर्ष 2030 तक 37 गीगावाट की बोली प्रक्रिया और परियोजना विकास के लिए विभिन्न व्यावसायिक मॉडलों का संकेत दिया गया है।
- अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के विकास हेतु अपतटीय क्षेत्रों के पट्टे प्रदान करने को विनियमित करने हेतु, विदेश मंत्रालय की 19 दिसंबर 2023 की अधिसूचना के माध्यम से अपतटीय पवन ऊर्जा पट्टा नियम, 2023 अधिसूचित किए गए हैं।
- सौर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल और ग्रिड-कनेक्टेड सौर इन्वर्टर के लिए मानक एवं लेबलिंग (एस एंड एल) कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।
- तीव्र अक्षय ऊर्जा ट्रैजेक्ट्री के लिए आवश्यक ट्रांसमिशन अवसंरचना को बढ़ाने के लिए वर्ष 2030 तक की ट्रांसमिशन योजना तैयार की गई है।
- “विद्युत (विलंब भुगतान अधिभार और संबंधित मामले) नियम (एलपीएस नियम)” अधिसूचित किए गए हैं।
- सभी के लिए किफायती, भरोसेमंद और सतत हरित ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दिनांक 06 जून, 2022 को विद्युत (हरित ऊर्जा खुली पहुंच के माध्यम से अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा) नियम, 2022 अधिसूचित किए गए हैं। वितरण लाइसेंसधारी को उसी विद्युत प्रभाग में स्थित कुल मिलाकर सौ किलोवाट या इससे अधिक के एकल या बहु एकल कनेक्शन के माध्यम से 100 किलोवाट या इससे अधिक की संविदा मांग के साथ किसी भी उपभोक्ता को हरित ऊर्जा खुली पहुंच (ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस) की अनुमति है।
- एक्सचेंजों के माध्यम से अक्षय ऊर्जा विद्युत की बिक्री को सुविधाजनक बनाने के लिए ग्रीन टर्म अहेड मार्केट (जीटीएएम) की शुरुआत की गई है।
- सरकार ने यह आदेश जारी किए हैं कि विद्युत की आपूर्ति साख पत्र (लेटर ऑफ क्रेडिट - एलसी) या अग्रिम भुगतान के माध्यम से की जाएगी ताकि वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा अक्षय ऊर्जा उत्पादकों को समय पर भुगतान सुनिश्चित हो सके।

*****